कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक................/जिला विधि, फोन नं. :– 06456–222530, 222535
[VIII-16/2007-14] फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
दिनांक ....09.2014 ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :– **अनिमेष कुमार पराशर,** भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

भ्रमणशील लोक अदालत

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।
उप विकास आयुक्त, किशनगंज।
अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज।
जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, किशनगंज।
जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, किशनगंज।
उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, किशनगंज।
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, किशनगंज–सह–अररिया।
अधीक्षक, उत्पाद/श्रम, किशनगंज।
कार्यपालक अभियंता, विद्युत, किशनगंज।
अग्रणी बैंक पदाधिकारी, किशनगंज।
समन्वयक, यू.बी.जी.बी., किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील, किशनगंज।

विषय :– किशनगंज जिलान्तर्गत "भ्रमणशील लोक अदालत" में वादों के निस्तार के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत विज्ञ अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक 1021, दिनांक 16.09.2014 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 15.10.2014 को **"भ्रमणशील लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता इकाई"** का वाहन के किशनगंज जिला में पहुँचने का कार्यक्रम है तथा **दिनांक 16.10.2014 को पूर्वाह्न 10.30 बजे "रचना भवन" किशनगंज** में सुलहनीय वादों का निष्पादन किया जायेगा तथा विधिक संबंधी आम जानकारी दी जायेगी।

अतः निदेश है कि निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रस्तावित उक्त **"भ्रमणशील लोक अदालत"** में आवश्यक सुलहनीय वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, **सुलहनीय वादों के निष्पादन से संबंधित सूची/अभिलेख** जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को निर्धारित तिथि दिनांक 09.10.2014 के अपराह्न तक उपलब्ध कराते हुए एतद् विषयक सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यक्रमानुसार **"भ्रमणशील लोक अदालत"** में उपस्थित पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष संबंधित अभिलेख आदि उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे तथा अपने–अपने क्षेत्रों में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार भी करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, मुखिया को भी एतद् विषयक कार्यक्रम से अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज कार्यपालक न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारियों एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को भी उक्त भ्रमणशील लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता इकाई के कार्यक्रम के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करेंगे। **अपर समाहर्त्ता, किशनगंज उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तद्नुसार सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करते हुए अनुश्रवण भी करना सुनिश्चित करेंगे।**

विश्वासभाजन,

ह./–
(अनिमेष कुमार पराशर)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

ज्ञापांक 334 /जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 26 .09.2014.

प्रतिलिपि :– विज्ञ अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को उनके पत्रांक 1021, दिनांक 16.05.2014 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को मेल से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को इंगित पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि "रचना भवन" में "भ्रमणशील लोक अदालत" के आयोजन के संबंध में तद्नुसार कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त/निदेशक, डी.आर.डी.ए., किशनगंज को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि को **"रचना भवन" डी.आर.डी..ए.,** किशनगंज के सभा कक्ष में उक्त बैठक की सभी व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त निमित्त सुरक्षा एवं विधि–व्यवस्था संधारण आदि के संबंध में तद्नुसार कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को वृहत् प्रचार–प्रसार करने हेतु निदेशित करने के साथ **"भ्रमणशील लोक अदालत"** के किशनगंज आगमन कार्यक्रम के अवसर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था आदि करने का भी कष्ट किया जाय।

(अनिमेष कुमार पराशर)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।